न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या – 268/2015
निर्णय दिनांक – 12.04.2021

वादीगण

1. नेमा पुत्र केनाजी उम्र–71 वर्ष
2. बाबु पुत्र धन्नाजी उम्र–42 वर्ष
3. गजरो पुत्री धन्नाजी उम्र–54 वर्ष
4. झुमी पुत्री धन्नाजी उम्र–49 वर्ष
5. दौलतराम पुत्र खेताजी उम्र–38 वर्ष

जातिगण–रेबारी, निवासीगण–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी
2. भू–दान यज्ञ बोर्ड जरिये अध्यक्ष/सचिव भू–दान यज्ञ बोर्ड धामाजी सिहर डयोढी बाजार, जयपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति–

1– श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2–प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार तहसीलदार, देसूरी।

–: निर्णय :– **दिनांक– 12.04.2021**

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि–वादीगण की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया

पेज लगातार 02 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कि मौजा ग्राम देसूरी तहसील—देसूरी जिला—पाली के पुराने खसरा नम्बर 404/2 रकबा पौन बीघा, पूराने खसरा नम्बर 405/2 रकबा पौने दो बीघा एक बिस्वा अर्थात कुल रकबा ढाई बीघा एक बिस्वा भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जासूद की थी। प्रमाणस्वरूप जमाबन्दी सवत् 2026 से 2029 व सवत् 2034 से 2037 की प्रमाणित प्रति सलग्न है। इसी प्रकार मौजा ग्राम देसूरी तहसील—देसूरी के पुराने खसरा नम्बर 408/19 रकबा 5 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जासूद देह खातेदार पट्टाधारी भू—दान मुस्ताकिल शिकमी की दर्ज थी जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2026—2029 से स्पष्ट है।

उक्त पुराने खसरा नम्बर 404/2, 405/2 कुल रकबा ढाई बीघा एक बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.23 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.25 हैक्टर बने। जिसे विवादग्रस्त आराजी संबोधित किया है। पुराने खसरा नम्बर 408/19 रकबा 5 बीघा के नये खसरा नम्ब्र 1565 व 1566 बने। जो कृषि भूमि वादीगण की देह खातेदार पट्टाधारी भू—दान मुस्तकिल की विद्यमान है।

यह है कि सेटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी अधिकारिता के सम्पूर्ण कृषि भूमियो को गलत तरीके से सम्मिलित करते हुए राजस्व रिकोर्ड में नये खसरा नम्बर 1430 1431 1432 1565 1566 कुल रकबा 1.25 हैक्टर सम्पूर्ण कृषि भूमि गलत रूप से भू—दान यज्ञ बोर्ड खातेदार धना, खेता, नेमा पुत्र केना देह खातेदार तीन होल्डर के दर्ज कर दी। जो खाता संख्या 635 मिसल बंदोबस्त सवत् 2041 से 2060 की प्रमाणित प्रति में दर्ज किया गया। यानि सेटलमेन्ट विभाग ने दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही के गलत रूप से वादग्रस्त आराजी के पूराने खसरा नम्बर 405/2 व 404/2 जिसके नये खसरा नम्बर 1430, 1431, 1432 बने जोकि वादीगण की एकमात्र विधिक खातेदारी व कब्जासूद होने के बावजूद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से खाता सम्मिलित करते हुए भू—दान विभाग प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत दर्ज कर दिया। जबकि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या दो का सेटलमेन्ट से पूर्व भी कोई हक अधिकार नही था तथा ना ही बाद में हक अधिकार है। जिससे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1430, 1431, 1432 से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादीगण का वाद हेतुक दौराने सेटलमेन्ट के वादीगण की खातेदारी व कब्जासूद वादग्रस्त आराजी में गलत इन्द्राज सेटलमेन्ट विभाग द्वारा करने पर प्रतिवादी संख्या 2 का गलत नाम दर्ज करने पर, जिसकी जानकारी वादीगण द्वरा राजस्व रिकोर्ड की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने पर एवम् तत्पश्चात वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को लिखित प्रार्थना पत्र देने पर प्रतिवादी संख्या एक द्वारा आज से 10 दिन पूर्व श्रीमान न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर वादीगण का वाद हेतुक विरूद्ध प्रतिवादीगण के उत्पन्न हुआ जिससे वादीगण का वाद अन्दर अवधिकाल पेश है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.16 हैक्टर व 1432 रकबा 0.25 हैक्टर एकमात्र वादीगण की खातेदारी व कब्जासूद घोषित की जावे तथा प्रतिवादी संख्या दो का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटवाया जावे। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त, उपयो उपभोग में प्रतिवादीगण या कर्मचारी या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी, अवरोध, हस्तक्षेप नही करे, जिस हेतु जरिये निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा हेतु प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बाद तलबी प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण वाद के तथ्य स्वय साबित करे, शेष रिकोर्ड पत्रावली में संलग्न हैं। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तलबी के उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

न्यायालय द्वारा दिनांक– 30.09.2020 को प्रकरण मे तनकियात कायम की जाकर विरचित की गई जो निम्न अनुसार है–

1. तनकी नम्बर–1 आया वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1430, 1431, 1432 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर खातेदारी घोषित होने का अधिकारी है.........जिम्मे वादी
2. तनकी नम्बर 2 आया वादी [illegible] के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिक[illegible] है...जिम्मे वादी
3. तनकी नम्बर 3 आया वादी [illegible] जाने योग्य है........जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

4. अनुतोष

तत्पश्चात् पत्रावली शहादत वादी में नियम की गई। वादीगण की ओर से अपनी साक्ष्य मे गवाह पीडब्लू—1 बाबुलाल पुत्र धनाजी के बयान लेखबद्ध कराये एवं न्यायालय मे परीक्षित कराये गये एवं इस गवाह द्वारा दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये। प्रतिवादी संख्या 1 साक्ष्य पेश नही करने चाहते है। अतः शहादत प्रतिवादी का अवसर बन्द किया गया।

बहस वकील वादीगण व सरकारी पैरोकार की समायत की गई। वकील वादीगण द्वारा वाद—पत्र मे दर्ज तथ्यो को दौहराते हुए वाद—पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया जाकर प्रकरण हाजा मे तनकी वाईज विनिश्चय एवं निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है—

तनकी नम्बर—1 आया वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1430, 1431, 1432 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाया जाकर खातेदारी घोषित होने का अधिकारी है....... जिम्मे वादी।

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य प्रदर्श—1 जमाबन्दी सवत् 2026—2029 में पुराने खसरा नम्बर 404/2, 405/2 कुल रकबा ढाई बीघा एक बिस्वा खातेदार धन्ना, खेता, नेमा पुत्र केना सा देह खातेदार दर्ज है व पुराने खसरा नम्बर 408/19 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि वादीगण की देह खातेदार पट्टाधारी भू—दान मुस्तकिल की विद्यमान है। तथा प्रदर्श—2 व प्रदर्श—3 मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि पुराने खसरा नम्बर 404/2, 405/2 से नये खसरा नम्बर 1430, 1431, 1432 बने है तथा पुराने खसरा नम्बर 408/19 से नये खसरा नम्बर 1565, 1566 बने है। तत्पश्चात् सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सभी कृषि भूमियो का एक ही [illegible] करते हुए सम्पूर्ण कृषि भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 1430, 1431, 1432, 1565, 1566 कुल रकबा 1.25 हैक्टर सम्पूर्ण कृषि भूमि गलत रूप से भू—दान यज्ञ बोर्ड खातेदार धना, खेता, नेमा पुत्र

पेज लगातार 05 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

केना देह खातेदार होल्डर दर्ज किया गया जो प्रदर्श–4 खाता संख्या 635 मिसल बन्दोबस्त सवत् 2041 से 2060 की प्रतिलिपी से स्पष्ट है। अतः उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट साबित होता है कि सेटलमेन्ट विभाग ने दौराने सेटलमेन्ट कार्यवाही के गलत रूप से वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 1430, 1431, 1432 जो कि वादीगण की विधिक खातेदारी व कब्जासूद होने के बावजूद बिना किसी सक्षम आदेश के गलत रूप से भू–दान विभाग प्रतिवादी संख्या दो का नाम से दर्ज कर दिया। जिससे गलत इन्द्राज होने से खसरा नम्बर 1430, 1431, 1432 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हटाया जाना न्याय संगत है। अतः इन तनकी को वादीगण के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

तनकी नम्बर 2 आया वादी वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है.....जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर है। तनकी नम्बर 1 के विवेचन अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है अतः इस तनकी को वादीगण के पक्ष मे निर्णत किया जाता है।

तनकी नम्बर 3 आया वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या–1 पर है। तनकी संख्या– 1 का विस्तृत विवेचन अनुसार निर्णित वादीगण के पक्ष मे किये जाने से एवं प्रतिवादी द्वारा इस तनकी के संबंध में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नही किये है है अतः इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार तनकी संख्या–1 से लगाय 2 का विनिश्चय व निर्णय वादीगण के पक्ष मे एवं तनकी संख्या–3 का विनिश्चय एवं निर्णय प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध किये जाने के फलस्वरूप मेरी न्यायालय की राय मे वादीगण का यह वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

पेज लगातार 06 पर...

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—: आदेश :—

अतः वादीगण का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर की जाती है कि–मौजा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.16 हैक्टर व 1432 रकबा 0.25 हैक्टर एकमात्र वादीगण की खातेदारी घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या दो का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाता है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के वादीगण के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे कोई रोक–टोक, बाधा, अवरोध नही करे न किसी अन्य ही करावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)
इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	ब ना म	प्रतिवादीगण
1. नेमा पुत्र केनाजी उम्र–71 वर्ष 2. बाबु पुत्र धन्नाजी उम्र–42 वर्ष 3. गजरो पुत्री धन्नाजी उम्र–54 वर्ष 4. झुमी पुत्री धन्नाजी उम्र–49 वर्ष 5. दौलतराम पुत्र खेताजी उम्र–38 वर्ष जातिगण–रेबारी, निवासीगण–देसूरी तहसील–देसूरी जिला–पाली		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, देसूरी 2. भू–दान यज्ञ बोर्ड जरिये अध्यक्ष/सचिव भू–दान यज्ञ बोर्ड धामाजी सिहर डयोढी बाजार, जयपुर

दावा बाबत 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– 268/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री सुधीर कुमार श्रीमाली मुदई तहसीलदार, देसूरी मिनजाविब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद मौजा ग्राम देसूरी के खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 1430 रकबा 0.16 हैक्टर व 1432 रकबा 0.25 हैक्टर एकमात्र वादीगण की खातेदारी घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या दो का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाता है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के वादीगण के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग मे कोई रोक–टोक, बाधा, अवरोध नही करे न किसी अन्य ही करावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह **अप्रैल** सन् **2021** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
देसूरी
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्ददई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:44:12 IST
Reason: SelfAttested